पुनरीक्षण फौजदारी

माननीय न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया के समक्ष

जरनैल सिंह - *याचिकाकर्ता बनाम*

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और एक अन्य, *उत्तरदाता।*

1970 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 32-एम।

27 जुलाई, 1970।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI) - धारा 88 और 89 - पुनर्गठन से पहले पंजाब राज्य में मौजूद कानून - क्या नियत दिन से दो साल बाद भी लागू रहता है - पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (1947 का XIII) - धारा 7 - केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ - क्या 'राज्य' - धारा के तहत शिकायत 7(1) ऐसे राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका - क्या धारा 7 (3) के तहत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है - धारा 7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, (1) - क्या धारा 7 (3) के तहत शिकायत का गठन होता है।

अभिनिर्धारित किया की पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियत दिन से ठीक पहले लागू होने वाला प्रत्येक कानून उन क्षेत्रों पर लागू होगा, जो नियत दिन से पहले पंजाब राज्य में शामिल थे, जब तक कि इसे एक लड़ाकू विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या अन्यथा बदल नहीं दिया जाता है। जबकि यह धारा किसी मौजूदा कानून को पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू रहने में सक्षम बनाती है, ऐसे क्षेत्र में इसके निरंतर आवेदन के बारे में समय की कोई सीमा लगाए बिना, अधिनियम की धारा 89 एक सक्षम प्रावधान है जो उपयुक्त सरकार यानी कार्यपालिका को संशोधन करने में सक्षम बनाता है, नियत दिन से दो साल के भीतर एक कार्यकारी आदेश द्वारा निरस्त या संशोधित करके ऐसे कानून को अपनाना या संशोधित करना और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियत दिन से पहले मौजूद कानून पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पूरे क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसमें बदलाव नहीं किया जाता है, ~ > द्वारा निरस्त या संशोधित किया गया एक सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी। नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, जो समाप्त हो जाता है, वह विचाराधीन क्षेत्र में मौजूदा कानून का अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा इसे अनुकूलित या संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकार का अधिकार है। इसलिए नियत दिन से दो साल की समाप्ति के बाद भी, मौजूदा कानून उक्त क्षेत्र में लागू रहता है और इसका आवेदन स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगा। (पैरा 4)

आगे अभिनिर्धारित किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक 'राज्य' है और आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम, 1947 की धारा 7 (1) के तहत शिकायत

संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अधिनियम की धारा 7(3) के तहत न्यायालयों द्वारा संज्ञान में लिया जा सकता है।

आगे अभिनिर्धारित किया कि एक अदालत तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर एक अपराध का संज्ञान लेती है जो एक अपराध का गठन करती है और दूसरी बात, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे तथ्यों के लिखित में एक रिपोर्ट पर। पुलिस के पास किसी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। यहां तक कि एक संज्ञेय मामले में, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाती है, न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेता है जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखी जाती है

और वह भी केवल तब जब वह संबंधित अपराध के संबंध में अपराधी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से ऐसी रिपोर्ट का संज्ञान लेता है। इसलिए पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम, 1947 की धारा 7 (1) के तहत केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से उप-धारा के संदर्भ में शिकायत नहीं बनती है।

(3) अधिनियम की धारा 7 (पैरा 7)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 497 और 498 के साथ धारा 561-ए *के तहत आवेदन* में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाए ताकि उसकी आवाजाही पर रोक को हटाया जा सके और आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया *जा सके*।

अधिवक्ता जवाहर लाल गुप्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

ए.एल. बहरी, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

डी.एस. तेवतिया, न्यायमूर्ति-(1) यह आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 497 और 498 के साथ धारा 561-ए के तहत दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह 12 अक्टूबर, 1962 को पंजाब सशस्त्र पुलिस में शामिल हुए थे, और वर्ष 1968 से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रोजगार में थे; कि वह 5 मार्च से शुरू होने वाली आठ दिनों की छुट्टी पर चले गए। 1969, जिसे उनके अनुरोध पर दस दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया था; इसके बाद उन्होंने सेवा से अपना इस्तीफा भेज दिया, और चूंकि उन्होंने अपने विभाग से कुछ नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने माना कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता को वर्तमान आवेदन दाखिल करने से पहले पता चला कि ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसेज (मेंटेनेंस) एक्ट, 1947 (1947 का एक्ट 13), जिसे बाद में आवश्यक सेवा अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, की धारा जे के तहत एक मामला इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के परिणामस्वरूप उसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी।

(2) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को जवाब देने के लिए दाखिल किए गए रिटर्न में याचिकाकर्ता के आवेदन के पैरा 1 और 2 की सामग्री का उल्लेख किया गया है जिसे मना नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने अपने रिटर्न के पैरा 3 में यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को आठ दिनों की छुट्टी दी गई थी और बीमारी के आधार पर छुट्टी को दस दिनों तक बढ़ाने के लिए एक टेलीग्राम भी प्राप्त हुआ था। हालांकि, प्रतिवादी ने आगे दलील दी है कि विस्तार के अनुरोध को किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं किया गया था और इसलिए, छुट्टी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस प्रतिवादी द्वारा आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उसकी छुट्टी नहीं बढ़ाए जाने के बारे में सूचित करने का प्रयास लुधियाना के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया गया था, लेकिन उसे अपने घर के पते पर उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गई थी। हालांकि, 28 अप्रैल, 1969 को याचिकाकर्ता के भाई सरदारा सिंह ने याचिकाकर्ता को इसके बारे में सूचित करने का बीड़ा उठाया। प्रतिवादी द्वारा यह भी दलील दी गई है कि दस दिनों की समाप्ति के बाद भी याचिकाकर्ता सेवा में शामिल नहीं हुआ और प्रतिवादी नंबर 1 या प्रतिवादी नंबर 2 को कोई त्याग पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी ने अपनी विवरणी में स्वीकार किया कि आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 के तहत एक मामला नंबर 694, दिनांक 28 अगस्त, 1969, पुलिस स्टेशन सेंट्रल, चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उनके द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया है और यह कहा गया है कि कार्रवाई कानून के अनुसार है और कानूनी रूप से मान्य है।

(3) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया पहला बिंदु यह है कि आवश्यक सेवा अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान

वकील ने कहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 31) की धारा 88 के आधार पर, जिसे बाद में पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है, पंजाब राज्य में नियत दिन से ठीक पहले लागू सभी कानून, यानी 1 नवंबर, 1966 को पूरे क्षेत्र में नियत दिन के बाद लागू रहेंगे। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद जो वर्तमान पंजाब या हरियाणा राज्यों या चंडीगढ़ या अन्य स्थानांतरित क्षेत्रों के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आता है। ^ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 निम्नानुसार है: –

> "88. भाग 1 के उपबंधों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि इससे उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन हुआ है जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई कानून लागू होता है या लागू होता है, और पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी कानून में प्रादेशिक संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किए जाते, तब तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, होना
>
> इसका अर्थ यह है कि नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्र हैं।

(4) पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 टीएल के संयुक्त उद्यम उपबंधों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियत दिन से ठीक पहले लागू होने वाला प्रत्येक कानून उन क्षेत्रों पर तब तक लागू रहेगा, जब तक कि नियत दिन से पहले उसे किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या अन्यथा परिवर्तित नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने तब प्रस्तुत किया कि भले ही पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के प्रावधान इस तरह के कानून को नियत दिन के बाद संबंधित क्षेत्र में लागू रहने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन ऐसा कानून केवल दो साल के लिए लागू रहेगा और उसके बाद मौजूदा पंजाब राज्य के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में इसका आवेदन स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों पर अपनी दलील के समर्थन में भरोसा किया है, जिसमें लिखा है-

> "89. पंजाब या हरियाणा राज्य के संबंध में या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में नियत दिन से पहले बनाई गई किसी भी विधि के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम से, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद ऐसी प्रत्येक विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है।
>
> *स्पष्टीकरण*--इस खंड में, 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है-
>
> (1) जहां तक संघ सूची, केन्द्रीय सरकार में प्रगणित विषय से संबंधित किसी विधि का संबंध है, और
>
> (2) जैसा कि किसी अन्य कानून का संबंध है,
>
> (1) राज्य, राज्य सरकार को इसके आवेदन में, और
>
> (2) केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार को इसके आवेदन में।

याचिकाकर्ता के वकील ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में निर्धारित दो साल की अवधि सीमा से पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के आधार पर पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के सभी क्षेत्रों में कानूनों को जारी रखने पर सीमा निर्धारित की है, जिससे उचित सरकार को कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन करने में सक्षम बनाया जा सके, चाहे वह निरसन या संशोधन के माध्यम से हो। जो आवश्यक और समीचीन हो सकता है। विद्वान वकील यह निष्कर्ष निकालते प्रतीत होते हैं कि जब तक मौजूदा कानून, जिसका निरंतर आवेदन "आई पुनर्गठन

>

अधिनियम" की धारा 88 द्वारा सक्षम है, को पंजाब और हरियाणा राज्यों या हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में नियत दिन से दो साल के भीतर लागू करने की दृष्टि से अनुकूलित और संशोधित नहीं किया जाता है। उक्त कानून ऐसे क्षेत्रों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा। मेरे विचार से, विद्वान वकील ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 और 89 के प्रावधानों के सही दायरे की सही सराहना नहीं की है। जबकि धारा 88 इस तरह के कानून को पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू रहने में सक्षम बनाती है, ऐसे क्षेत्र में इसके निरंतर आवेदन के बारे में समय पर कोई सीमा लगाए बिना, धारा 89 एक सक्षम प्रावधान है जो उपयुक्त सरकार, यानी कार्यपालिका को दो साल के भीतर कार्यकारी आदेश द्वारा निरस्त या संशोधित करके ऐसे कानून में संशोधन, अनुकूलन या संशोधन करने में सक्षम बनाता है। नियत दिन और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियत दिन से पहले मौजूद कानून तत्कालीन पंजाब राज्य के पूरे क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, जो समाप्त हो जाता है, वह विचाराधीन क्षेत्र में मौजूदा कानून का अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा इसे अनुकूलित या संशोधित करने का उपयुक्त सरकार का अधिकार है, और इसलिए, मैं मानता हूं कि नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद मौजूदा कानून का आवेदन स्वचालित रूप से नहीं होगा। चूक, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के लिए अनुरोध किया गया है कि भले ही आवश्यक सेवा अधिनियम पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के क्षेत्र के उस हिस्से पर लागू हो, जो अब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई उक्त अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं बन सकती है। क्योंकि आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है
राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत को छोड़कर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध। अपनी दलील को विस्तार से बताते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है और इसलिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के इशारे पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर किसी भी शिकायत का अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। संदर्भ की सुविधा के लिए, आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 की उप-धाराओं (3) और (4) के प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

(1) (3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत के।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का वी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा।

मेरी राय में, विद्वान वकील के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। आवश्यक सेवा अधिनियम में कहीं भी 'राज्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम 10) की धारा 3 की उपधारा (58) में राज्य शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(5) इस अधिनियम में, और इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,

** * * * * * * *

(58) 'राज्य'-

(1) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले की किसी भी अवधि का अर्थ भाग क राज्य, भाग ख राज्य या भाग ग राज्य होगा; और

(2) इस तरह के प्रारंभ के बाद की किसी अवधि का संबंध में, संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक राज्य का अर्थ होगा और इसमें एक संघ राज्यक्षेत्र शामिल होगा:

(6) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि *यह क्या है;*वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह बिंदु एक 'राज्य' है या नहीं है, इस पर पहले विचार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मैनेजमेंट ऑफ एडवांस इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी बनाम *श्री गुरुदासमल और अन्य* (1) उस मामले के तथ्य यह थे कि एक शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, और जांच पुलिस अधीक्षक के अधीन एक निरीक्षक को सौंपी गई थी और जांच महाराष्ट्र राज्य में की जानी थी और अपीलकर्ता,की शक्ति को चुनौती दी ■ -

■*

महाराष्ट्र राज्य में अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले की जांच करने के लिए पुलिस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संवैधानिक नहीं है और अन्य राज्यों में मामलों की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जांच को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई थी कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम 25), जैसा कि कानून के अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा अनुकूलित है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करता है। इस तर्क पर, अपीलकर्ता का जवाब था कि संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम के बाद, जिसने संविधान से 'भाग सी राज्यों' के विवरण को हटा दिया और 'केंद्र शासित प्रदेशों' की अभिव्यक्ति पेश की, संघ सूची की वर्तमान प्रविष्टि 80 (भारत सरकार अधिनियम 1935 की संघीय विधायी सूची की प्रविष्टि 39 के अनुरूप) को संघ सूची से संबंधित पुलिस बल के संबंध में शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश। उस मामले में अपीलकर्ता के तर्क की सराहना करने के लिए, संघ सूची की प्रविष्टि 80 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं: —

> "80. किसी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार, लेकिन इस तरह से नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र में शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो सके, जिसमें वह क्षेत्र स्थित है; किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस राज्य के बाहर के रेलवे क्षेत्रों तक विस्तार।

उस मामले में तर्क इस लाइन पर आगे बढ़ा कि यह प्रविष्टि 80 किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल की बात करती है, न कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पुलिस बल की। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का अनुकूलन किसके द्वारा किया गया है?

विधि आदेश, 1956 में भाग ग के राज्यों के स्थान पर संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करके उक्त अधिनियम को उस प्रविष्टि से हटा दिया गया जिसके अंतर्गत केवल शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रविष्टि 80 द्वारा प्रदत्त शक्ति सीमा में सीमित है और विशेष रूप से प्रदान किए जाने के अलावा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रविष्टि 80 के तहत, किसी राज्य के पुलिस बल की शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है, न कि संघ राज्य क्षेत्र की शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है और इस प्रकार यह प्रश्न कि संघ राज्य राज्य है या नहीं, उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा विचार के लिए आया था। एम. हिदायतुल्लाह, सीजे, जिन्होंने न्यायालय की ओर से बात की, ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (58) के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निम्नानुसार टिप्पणी की: -

पीठ ने कहा, "यह परिभाषा उस कठिनाई का पूरा जवाब देती है जो उठाई गई है क्योंकि प्रविष्टि 80 को पढ़ा जाना चाहिए ताकि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जा सके। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पुलिस बल के सदस्य अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को दूसरे राज्य तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते उस राज्य की सरकार सहमति दे।

इसलिए उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा इस आधिकारिक घोषणा के बाद, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्य होने के बारे में कोई संदेह नहीं है और इसलिए, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को खारिज करता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है।

(7) अंत में, याचिकाकर्ता के वकील ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर का आग्रह किया है, जिसमें आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत शिकायत शामिल है और चूंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए उनके द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही अवैध है और अदालत द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। विद्वान वकील द्वारा दिया गया तर्क भ्रामक है, क्योंकि न्यायालय के लिए किसी अपराध का संज्ञान लेने का मंच अभी तक नहीं पहुंचा है और एफ.आई.आर. को अदालत को लिखित में शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है। यहां यह कहा जा सकता है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V) की धारा 190 है, जो आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित है, और आगे की कार्यवाही से पहले, इसके प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित है जो नीचे दिए गए हैं: –

(1) इसके बाद के प्रावधान के अलावा, कोई प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट,

और इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है-

(1) ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;

(2) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर;

(3) एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी अपनी जानकारी या संदेह पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।

* * * * =:=?'

उपर्युक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान ले सकता है और दूसरा, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे तथ्यों के लिखित में एक रिपोर्ट पर। इसलिए पुलिस के पास किसी अपराध का एफआईआर दर्ज करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उप-धारा (1) के किसी भी खंड के तहत नहीं आ सकता है। यहां तक कि एक संज्ञेय मामले में, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाती है, अदालत तब तक संज्ञान नहीं लेती है जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखी जाती है और वह भी केवल तभी जब वह संबंधित अपराध के संबंध में अपराधी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से ऐसी रिपोर्ट का संज्ञान लेता है। इसलिए मेरा मानना है कि केवल एफआईआर दर्ज करने मात्र से आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के संदर्भ में शिकायत नहीं आती है और इसलिए, इस तरह का एफआईआर संबंधित प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा किसी भी पूर्व प्राधिकरण के बिना दर्ज किया जा सकता है।

(8) याचिकाकर्ता के वकील ने एक तर्क दिया कि चूंकि आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, इसलिए लिखित में शिकायत दर्ज करके, चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

के पास पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का विकल्प नहीं है। विद्वान वकील के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। ऐसा लगता है कि विद्वान वकील आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) से अनजान हैं, जिसने इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को एक संज्ञेय अपराध माना है, जिसका अर्थ है कि चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का विकल्प खुला था, और पुलिस मामले की जांच करने के लिए सक्षम है।

(9) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई एक और दलील यह है कि पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब, याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी था और केवल वही प्राधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था और जिस राज्य में वह प्रतिनियुक्ति पर सेवारत है, वहां के अधिकारियों के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। विद्वान वकील के इस तर्क में शायद ही कोई दम है। जो कार्रवाई शुरू की गई है वह अनुशासनात्मक नहीं है; यह कार्रवाई आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित आपराधिक कार्यवाही में है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारी लेने के लिए सक्षम हैं, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(10) इस मामले में पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य बिंदु का आग्रह नहीं किया गया है।

(11) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस आवेदन में कोई दम नजर नहीं आता और इसलिए जमानत के साथ-साथ एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है और आवेदन को खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा